"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 सितम्बर 2009—भाद्र 20, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-9/2008/1-7.—इस विभाग की समसख्यंक अधिसूचना दिनांक 05-08-2008 के अनुसार "लोकनायक जयप्रकाश नारायण" (मीसा/डी.आई.आर राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 के नियम-15 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, अर्थात् :—

नियम-15 में शब्द "छः माह के भीतर" के स्थान पर शब्द "31 दिसम्बर 2009 तक" प्रतिस्थापित किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255] रायपुर, सोमवार, दिनांक 14 सितम्बर 2009—भाद्र 23, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 1-34/18/2008.--छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के अंतर्गत प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर के पद के लिए दिनांक 18 अगस्त, 2009 को किए गए आरक्षण की सूची उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (3) के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	आरक्षण का वर्ग (2)	नगर पालिक निगम का नाम (3)
1.	अनुसूचित जाति	रायगढ़
2.	अनुसूचित जनजाति	अंबिकापुर
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	चिरमिरी, दुर्ग, भिलाई (महिला)
4.	महिला वर्ग	रायपुर, बिलासपुर

Raipur, the 11th September 2009

NOTIFICATION

No. F. 1-34/18/2008.—Under the provisions of sub-rule (3) of Rule 9 of Chhattisgarh Municipalities (Reservation of Office of Mayor & President) Rules, 1999 the list of reserved post of Mayor of Municipal Corporation made on 18th August, 2009 is hereby being notified as follows :—

No. (1)	Category of Reservation (2)	Name of the Municipal Corporation (3)
1.	Scheduled Caste	Raigarh
2.	Scheduled Tribe	Ambikapur
3.	Other Backward Classes	Chirmiri, Durg, Bhilai (Female)
4.	Female	Raipur, Bilaspur

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 1-34/18/2008.—छत्तीसगढ़ नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के अंतर्गत प्रदेश के नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के पद के लिए दिनांक 18 अगस्त, 2009 को किए गए आरक्षण की सूची उक्त नियमों के नियम 9 के उपनियम (3) के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

क्र. (1)	आरक्षण का वर्ग (2)	नगर पालिका का नाम (3)
1.	अनुसूचित जाति	डोंगरगढ़, जांजगीर-नैला, अकलतरा, भाटापारा (महिला)
2.	अनुसूचित जनजाति	जशपुरनगर, बड़ी बचेली, कोण्डागांव (महिला)
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	मनेन्द्रगढ़, तिल्दानेवरा, धमतरी, चांपा, कांकेर, गोबरानवापारा (महिला), भिलाई-चरौदा (महिला)
4.	महिला वर्ग	दल्ली-राजहरा, कुम्हारी, बालोद, बलौदा-बाजार, महासमुन्द, सूरजपुर.

Raipur, the 11th September 2009

NOTIFICATION

No. F. 1-34/18/2008.—Under the provisions of sub-rule (3) of Rule 9 of Chhattisgarh Municipalities (Reservation of Office of Mayor & President) Rules, 1999 the list of reserved post of President of Municipal Council made on 18th August, 2009 is hereby being notified as follows :—

No. (1)	Category of Reservation (2)	Name of the Municipal Council (3)
1.	Scheduled Caste	Dongargarh, Janjgir-Naila, Akaltara, Bhatapara (Female)
2.	Scheduled Tribe	Jashpurnagar, Badi-Bacheli, Kondagaon (Female)
3.	Other Backward Classes	Manendragarh, Tildaneora, Dhamtari, Champa, Kanker, Gobranawapara (Female), Bhilai-Charoda (Female)
4.	Female	Dalli-Rajahara, Kumhari, Balod, Baloda-Bazar, Mahasamund, Surajpur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमन्त पहारे, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.